

दिनांक-13.10.2017 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में खादी संस्थाओं/समितियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- सूची अनुसार।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया :-

1. रिबेट :- बैठक में खादी संस्थाओं द्वारा यह माँग की गई कि खादी वस्त्रों के कुल बिक्री पर रिबेट दिया जाय, क्योंकि बिहार में उत्पादित वस्त्र की बिक्री का आंकड़ा अलग करने में काफी कठिनाई होती है। वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में सरकार द्वारा बिहार में उत्पादित खादी वस्त्रों के खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत रिबेट देने की घोषणा की गई है, लेकिन खादी संस्थाओं द्वारा रिबेट का दावा किया गया है, वह खादी वस्त्रों के कुल बिक्री पर किया गया। जिसके कारण रिबेट का स्वीकृति/भुगतान में कठिनाई आ रही है। विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि सभी संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में माँगी गई सूचना जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) से सत्यापित हो, निश्चित रूप से दिनांक-30.10.2017 तक बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध करा दिया जाय। इसके बाद इस बिन्दु पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

2. कार्यशीलपूँजी :- बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा खादी संस्थाओं को 4% (प्रतिशत) के ब्याज दर पर 07 वर्षों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया गया है। प्रति चरखा कार्यशील पूँजी की आवश्यकता का मूल्यांकन नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, पटना (NIFT) एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पटना (KVIC) के साथ बैठक में निर्णय के बाद प्रति चरखा 47,462.00 (सैतालिस हजार चार सौ बासठ रुपये) किया गया है।

खादी संस्थाओं द्वारा यह माँग की गई है कि उन्हें खादी पुनरुद्धार योजना के तहत जो कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई गई है, उसकी गणना प्रति चरखा के हिसाब किया जाय एवं उसके अनुसार खादी संस्थाओं के लिये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाये। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा खादी बोर्ड को निदेश दिया गया कि खादी पुनरुद्धार योजना के अन्तर्गत कच्चा माल एवं पारिश्रमिक दोनों को मिलाकर कार्यशील पूँजी के लिये राशि की गणना की गई है। उसके अनुसार संचिका प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस खादी संस्था को जितना चरखा दिया गया उतने चरखा पर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाय।

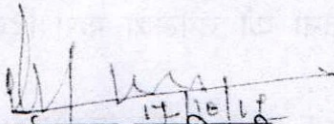
3. कटिया चरखा को कार्यशील पूँजी :- बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कटिया चरखा को निर्धारित शर्त के अनुरूप कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाय। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा बताया गया कि खादी संस्थाओं को 600 नग एक तकुआ का कटिया चरखा उपलब्ध कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता की जाँच एवं भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। कटिया चरखा द्वारा शिल्क धागे की कताई होती है। खादी सूती से शिल्क का धागा काफी महंगा पड़ता है, लेकिन कटिया चरखा से कताई की क्षमता 8 तकुए मॉर्डन चरखा से कम होता है। इसलिए इसी अनुरूप कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी।

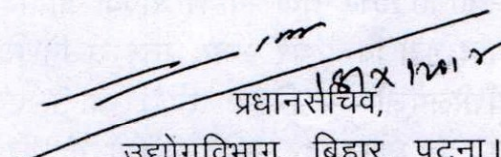
खादी संस्थाओं से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कटिया चरखा की कार्यशील पूँजी की गणना कर निर्धारित शर्तों के साथ उपलब्ध कराया जाय।

4. खादी नीति, 2017 :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सभी संस्थाओं को सूचित किया गया कि "खादी नीति, 2017" तैयार किया जा रहा है। इसलिए खादी संस्थाएं अपनी राय एक सप्ताह के अन्दर पत्र या ई-मेल के माध्यम उपलब्ध करायें, ताकि खादी संस्थाओं के सुझाव पर विचार कर उसे खादी नीति, 2017 में सम्मिलित किया जा सके।

5. करघा :- बोर्ड द्वारा प्रति करघा का कीमत 30,000.00 (तीस हजार) भुगतान की गई है, उसपर खादी संस्था/समितियों के मंत्री द्वारा आपत्ति जतायी गई। उनके द्वारा आग्रह किया गया कि करघा का कीमत में बढ़ोतरी हो गई है एवं दुलाई खर्च में संस्था को अधिक राशि वहन करना पड़ रहा है। इसलिए प्रति करघा की कीमत को पुनः निर्धारित किया जाय। जिसपर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि इसके लिए खादी बोर्ड द्वारा शीघ्र प्रस्ताव उद्योग विभाग को भेजा जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गई।

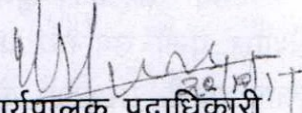

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।


प्रधानसचिव,
उद्योगविभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - २००/१५२

पटना, दिनांक - २०/१०/२०१७

प्रतिलिपि प्रेषित :- बिहार के सभी खादी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी